

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (c) Kendriya Vidyalaya Sangathan has informed that the scheme of teaching Yoga in Kendriya Vidyalayas was started in 1981-82 on an experimental basis and later it was decided for continuing the scheme on a regular basis.

The qualifications and pay scales of Yoga Teachers (Rs. 1400—2300) were lower than those of Trained Graduate Teachers (Rs. 1400—2600) who have been granted the benefit of senior scale of pay. No corresponding senior scale is attached to the post of Yoga teacher.

#### Identification of New Archaeological sites

1171. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the new archaeological sites identified through remote sensing data during the last two years; and

(b) the steps taken to follow up and excavate those sites to find out the lost treasures of ancient civilisations hidden under the earth?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) The Archaeological Survey of India has not identified any archaeological site through remote sensing data, so far.

(b) Question does not arise.

#### अर्जुन पुरस्कार विजेता

1172. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे खेलों का ब्यौरा क्या है जिनके खिलाड़ियों को अब तक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अब तक सम्मानित किए गए खिलाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) अर्जुन पुरस्कार के लिए उम्मीदवार का चयन करने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या प्रतिवर्ष अर्जुन पुरस्कार देने के संबंध में सिफारिश और प्रभाव के आरोप लगाए जाते हैं;

(घ) क्या सरकार चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो अर्जुन पुरस्कार की धनराशि कितनी है और इसके साथ क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं; और

(च) क्या सरकार इन्हें बढ़ाने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों कार्यक्रम और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन): (क) अपेक्षित सचूना विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ख) अर्जुन पुरस्कार देने के लिए निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:—

(1) अर्जुन पुरस्कार हेतु पात्र खिलाड़ी का न केवल पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय / अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए बल्कि उस वर्ष भी उत्कृष्टता हासिल की जानी चाहिए जिसमें पुरस्कार देने की अनुशंसा की गई है और इसके साथ ही उसमें नेतृत्व, क्रीडाकौशल तथा अनुशासन की भावना के गुण भी विद्यमान होने चाहिए।

(2) ऐसे खिलाड़ियों के नामों पर भी अर्जुन पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है जिन्होंने खेलों एवं खेलों के संवर्धन में अपना जीवन काल समर्पित किया है।

(ग) कुछ खिलाड़ियों ने विगत में चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी नाराजगी प्रकट की है जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला है।

(घ) अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया पहले से ही पारदर्शी एवं निष्पक्ष है क्योंकि नाम राष्ट्रीय खेल परिषदों और राज्य सरकारों से आमंत्रित किये जाते हैं और चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल होते हैं और इसमें वरिष्ठ अधिकारी तथा खेल प्राधिकारी सम्मिलित होते हैं।

(ङ) अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अर्जुन पुरस्कार समारोह में 50,000/-रु० के नकद इनाम के साथ अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक सम्मान क्रोल तथा समारोह संबंधी पोशाक प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पुरस्कार प्राप्तकर्ता को रेल मंत्रालय की तरफ से प्रथम